



परिपत्र

विषय : संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणोपरान्त आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने परिषद मुख्यालय में राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे सरकारी काम-काज सहित हिन्दी से संबंधित अन्य मदों का जायजा लेने के लिए दिनांक 21.09.2026 को निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने परिषद मुख्यालय में किए जा रहे राजभाषा हिन्दी संबंधी कार्यकलापों पर संतोष व्यक्त किया तथापि निरीक्षण के दौरान समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर देते हुए इनमें सुधार करने हेतु निर्देश दिए हैं :

1. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर भाकृअनुप के विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया जाता रहा है। पिछले कुछ समय में यह देखने में आया है कि अनेक संस्थानों/केन्द्रों द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण की प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक नहीं भरा गया है तथा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया है। अतः सभी संस्थान/केन्द्र/निदेशालय/ब्यूरो/अटारी संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण को गंभीरता से लें तथा इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. कार्यालय में उप-सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिक से अधिक श्रुतलेख दिया जाए।
3. कार्यालय द्वारा अपनी ओर से 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र शत-प्रतिशत हिंदी में ही भेजे जाएं।
4. चूंकि परिषद मुख्यालय राजभाषा नियम 10(4) के तहत अधिसूचित है। अतः सभी अनुभागों/प्रभागों द्वारा शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाए।
5. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए।
6. परिषद के अधीनस्थ संस्थानों/केन्द्रों/निदेशालयों/ब्यूरो/अटारी में राजभाषा हिंदी की प्रगति की स्थिति का पता लगाने के लिए परिषद मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए।

7. परिषद के अधीनस्थ वे संस्थान जो नियम 10(4) के तहत अधिसूचित नहीं हैं, उन संस्थानों द्वारा शीघ्र अधिसूचित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
8. समस्त संस्थानों/केन्द्रों/निदेशालयों/ब्यूरो/अटारी द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट अद्यतन प्रोफार्मा में भरकर भाकृअनुप मुख्यालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए।
9. समस्त संस्थानों/केन्द्रों/निदेशालयों/ब्यूरो/अटारी द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक दो वर्ष में कार्यालय के प्रत्येक कार्मिक को कार्यशाला में नामित किया गया है।
10. समस्त संस्थानों/केन्द्रों/निदेशालयों/ब्यूरो/अटारी द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाए तथा इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त नियमित रूप से परिषद मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाए।
11. समस्त संस्थानों/केन्द्रों/निदेशालयों/ब्यूरो/अटारी द्वारा अपनी वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करवायी जाए तथा उसे इस प्रकार से तैयार किया जाए कि मुख्य पृष्ठ (Home Page) हिन्दी में ही खुले।

कार्यालय में राजभाषा हिन्दी से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए उपरोक्त मदों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ज्ञानेन्द्र
16/10/20

(ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी)

अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअनुप

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी / Gyanendra Dev Tripathi
अपर सचिव, कृ.अ.शि.वि. एवं सचिव, भा.कृ.अनु.प.
Addl. Secretary, DARE & Secretary, ICAR
कृषि भवन नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

वितरण (ई-ऑफिस के माध्यम से) :

1. भाकृअनुप के अधीनस्थ समस्त संस्थानों/केन्द्रों/निदेशालयों/ब्यूरो/अटारी के निदेशक।
2. भाकृअनुप मुख्यालय, नई दिल्ली के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
3. परियोजना निदेशक (डीकेएमए), भाकृअनुप, नई दिल्ली को भाकृअनुप की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।